[2019] 1 एस. सी. आर. 1104

गुजरात राज्य

वी.

अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 224)

फरवरी 05,2019

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.190 (1) (बी)-हवाला के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन की धोखाधड़ी/हेराफेरी का आरोप।

आईसीआईसीआई बैंक ने एक कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने साजिश रची और इस साजिश के एक हिस्से के रूप में बैंक में प्रवेश का झूठा और फर्जी बिल प्रस्तुत किया और हवाला के माध्यम से विभिन्न कंपनियों को बड़ी राशि भेजी और इस तरह उक्त कंपनी के खिलाफ दर्ज भारत सरकार को धोखा दिया-प्रतिवादी का नाम प्राथमिकी में नहीं आया-जांच के दौरान, विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन बयानों में प्रतिवादी और अन्य आरोपी व्यक्तियों को फंसाया गया आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें प्रतिवादी को संदिग्ध के रूप में संदर्भित किया गया था-पहले पूरक आरोप पत्र में, प्रतिवादी को आरोपी के रूप में नहीं जोड़ा गया था-आगे की जांच के आधार पर, दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था और उस पर भरोसा करते हुए, मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी इस्सू सहित अभियुक्तों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया। कथित रूप से किया गया अपराध कंपनियों का एक जाल स्थापित करके हवाला के माध्यम से दुबई और हांगकांग में विदेशी मुद्रा भेजने का एक जटिल आर्थिक अपराध था और यह जाली बिलों का एक साधारण मामला नहीं था।

प्रवेश उच्च न्यायालय ने मामले की जांच करने की कार्यवाही में गलती की जैसे कि यह जाली प्रवेश पत्र जमा करने का एक साधारण मामला था, यह कहते हुए कि मामला हीरे के किसी भी आयात या निर्यात से संबंधित नहीं था-जब मजिस्ट्रेट की संतुष्टि आरोप पर आधारित थी

1104 गुजरात राज्य बनाम। अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता

चादर और उसके सामने रखी गई सामग्री, संतुष्टि नहीं हो सकती है

गलत या विकृत कहा जाए और संतुष्टि में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए-पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान लेते समय, मजिस्ट्रेट को यह संतोष है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है-दूसरे पूरक आरोप पत्र के साथ, गवाहों के बयान, प्रतिवादी के बैंक विवरण जैसी सामग्री की संख्या-आरोपी और उसकी कंपनी और अन्य बैंक विवरण, कॉल विवरण रिकॉर्ड और अन्य सामग्री रखी गई थी और

मजिस्ट्रेट ने स्वयं को संतुष्ट किया कि प्रतिवादी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार था और समन जारी किया-जब अभियोजन पक्ष सामग्री पर भरोसा करता था, तो समन जारी करने के चरण में सबूत का सख्त मानक लागू नहीं किया जाना था और न ही संभावित बचाव की जांच करने के लिए जो आरोपी ले सकता था-वह सब

अदालत को यह करने की आवश्यकता थी कि वह खुद को संतुष्ट करे कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं-उच्च न्यायालय को मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए था जब मामला प्रारंभिक चरण में था-विवादित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए -

मजिस्ट्रेट ने दूसरे पूरक आरोप का संज्ञान लिया अपराधों के लिए पत्रक और प्रतिवादी को प्रक्रिया जारी करना-अभियुक्त ने दंड संहिता, 1860 को बहाल किया। 420 , 465 , 467 , 468 , 471 , 477 ए और 120-बी-आर्थिक अपराध।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 190 (1) (ख)-संज्ञान

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध और समन जारी करना-क्या मजिस्ट्रेट को समन जारी करने के लिए पर्याप्त आधारों की संतुष्टि के लिए कारण दर्ज करना है-आयोजित किया गयाः जहाँ तक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने की बात है, मजिस्ट्रेट को आरोप पत्र, गवाहों के बयान और जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए अन्य साक्ष्य का लाभ मिलता है-इस प्रकार एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री की जांच अधिकारी के स्तर पर जांच की जाती है और उसके बाद आरोप पत्र दायर किया जाता है-उचित मामलों में, आरोप पत्र दायर करने से पहले लोक अभियोजक की राय भी प्राप्त की जाती है-इसके बाद, मजिस्ट्रेट को केवल आरोपी को समन जारी करने का आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है-आरोपी को समन जारी करने का ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अधीन होता है जो पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर विचार करता है और खुद को संतुष्ट करता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और मजिस्ट्रेट को [2019] 1 एस. सी. आर. दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोई भी कारण-तत्काल मामले में, एस. एस. के तहत अपराध के लिए पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र को ध्यान में रखते हुए अपराध का संज्ञान लिया गया था। 420 , 465 , 467 , 468 , 471 , 477 ए और 120 बी आई. पी. सी.-प्रक्रिया जारी करने के लिए अपनी संतुष्टि के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज किए बिना प्रक्रिया जारी करने का आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं था।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 190 , 204 प्रक्रिया जारी करना-आयोजितः अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने के लिए केवल यह देखना होगा कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

अभियुक्त के खिलाफ-प्रक्रिया जारी करने के चरण में, न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री के साक्ष्य मूल्य को तौलने की आवश्यकता नहीं है-न्यायालय को मामले में लगाए गए आरोपों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए। आरोप-पत्र और प्रस्तुत साक्ष्य और स्वयं को संतुष्ट करते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है-न्यायालय है

मामले के गुण-दोषों की जांच न करना और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता का निर्धारण न करना-न्यायालय को भी संभावित बचाव शुरू करने की आवश्यकता नहीं है-इसी तरह, प्रक्रिया जारी करते समय 'संभावित बचाव' पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कानूनी प्रतिबंध जैसे कोई प्रत्यक्ष बचाव न हो या यदि कानून में अभियुक्त उत्तरदायी न हो।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 397 पुनरीक्षण अधिकारिता-एस के तहत पुनरीक्षण की सुनवाई करते समय का दायरा। 397 , उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है और ऐसा नहीं करेगा

जब तक कि निचली अदालत का निर्णय विकृति से ग्रस्त न हो, तब तक साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करें-तत्काल मामले में, मजिस्ट्रेट का समाधान हो गया था कि आरोप पत्र और उस पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार थे-उच्च न्यायालय मामले के गुण-दोषों की जांच करने और अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने में उचित नहीं था-दंड संहिता, 1860 एस। 420 , 465 , 467 , 468 , 471 , 477 ए और 120-बी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यह अच्छी तरह से तय है कि जारी करने के चरण में

प्रक्रिया में, मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से शिकायत में लगाए गए आरोपों या उसके समर्थन में दिए गए साक्ष्य से संबंधित है और मजिस्ट्रेट को केवल इस बात से संतुष्ट होना है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। जारी करते समय

समन, मजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से कारण बताने की आवश्यकता नहीं है गुजरात राज्य बनाम।

अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता

उसकी संतुष्टि के लिए कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं

अभियुक्त के खिलाफ। [पैरा 15] [1117-जी-एच; 1118-ए]

पेप्सी फूड्स लिमिटेड और एक अन्य वी। विशेष न्यायाधीश

मजिस्ट्रेट और अन्य (1998) 5 एस. सी. सी. 749: [1997] 5 पूरक। एस. सी. आर. 12; भूषण कुमार और एक अन्य वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और दूसरा (2012) 5 एस. सी. सी. 424: [2012] 2 एससीआर 696; महमूद उल रहमान बनाम। खजीर मोहम्मद टुंडा और अन्य (2015) 12 एससीसी 420 [2015] 4 एससीआर

841 - अप्रयोज्य रखा गया।

1.2 धारा 190 (1) (बी) Cr.P.C. धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से संबंधित है।

Cr.P.C. मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई शिकायत को धारा 203 Cr.P.C के तहत खारिज किया जा सकता है. यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि कार्यवाही के लिए और ऐसे प्रत्येक मामले में पर्याप्त आधार नहीं है। मामले में, वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को संक्षेप में दर्ज करेगा। यदि धारा 203 Cr.P.C के तहत कोई शिकायत खारिज नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट धारा 204 Cr.P.C के तहत प्रक्रिया जारी करता है। वर्तमान मामले में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया गया है। ए में

पुलिस रिपोर्ट पर विचार करने पर, वारंट मामलों में, धारा 239 Cr.P.C के तहत मामला दर्ज किया जाता है।

धारा 173 Cr.P.C के तहत अपने साथ दाखिल किए गए दस्तावेज, मजिस्ट्रेट आरोपी और अभियोजन पक्ष दोनों को सुनवाई का अवसर देने के बाद आरोपी को आरोपमुक्त कर देगा, अगर मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप को दोषमुक्त मानता है।

निराधार और ऐसा करने के लिए उसके कारणों को दर्ज करें। [पारस 18,19] [1120-डी, एफ-जी; 1121-ए]

राज कुमार अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 1999

Cr.LJ 4101-स्वीकृत।

क्या एकत्र की गई सामग्री सहायता के लिए पर्याप्त है दृढ़ विश्वास। अदालत को साक्ष्य और उसके गुण-दोष का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 204 Cr.P.C के तहत अभियुक्त को समन करने के लिए अपनाया जाने वाला मानक आरोप तय करते समय समान नहीं है। धारा 204 [2019] 1 एस. सी. आर. के तहत समन जारी करने के लिए।

Cr.P.C., प्रयोग की गई अभिव्यक्ति है "आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है।" जबकि आरोप तय करने के लिए, आई. पी. सी. की धारा 240 और 246 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "यह मानने के लिए आधार है

कि अभियुक्त ने अपराध किया है। " पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने और धारा 204 Cr.P.C के तहत समन जारी करने के लिए, मामले के गुण-दोष के बारे में विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य कि मामले की जांच के बाद, पुलिस ने उस पर सामग्री के साथ आरोप पत्र दायर किया है, धारा 204 Cr.P.C के तहत समन जारी करने के लिए कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार माना जा सकता है। [पैरा 21] [1122-ई-एच]

1.4 जहाँ तक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने की बात है,

मजिस्ट्रेट के पास जाँच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए आरोप पत्र, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य का लाभ होता है। जाँच अधिकारी/एस. एच. ओ. में की गई जाँच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र करते हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन

और जाँच के नियमों के अनुसार। इस प्रकार एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्रियों को जाँचकर्ता के स्तर पर जांचा जाता है।

अधिकारी और उसके बाद आरोप पत्र दायर किया गया। उचित मामलों में, लोक अभियोजक की राय भी पहले प्राप्त की जाती है।

मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देता है। ऐसे मामले में, मजिस्ट्रेट को जारी करने के लिए कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है प्रक्रिया। तत्काल मामले में, अपराध का संज्ञान लिया गया था

पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र को ध्यान में रखते हुए आई. पी. सी. की धारा 420,465,467,468,471,477 ए और 120 बी के तहत स्पष्ट रूप से कारणों को दर्ज किए बिना प्रक्रिया जारी करने का आदेश।

प्रक्रिया के मुद्दे के लिए इसकी संतुष्टि के लिए किसी से पीड़ित नहीं था अवैधता। [पैरा 22] [1123-ए-एफ]

2. क्या धारा 397 (2) Cr.P.C के तहत संशोधन।

प्रक्रिया जारी करने का क्रम बनाए रखने योग्य है:

2.1 एकल न्यायाधीश आधार के तहत कार्यवाही करने में सही नहीं था जैसे कि मामला गुजरात के जाली राज्य v को प्रस्तुत करने का एक सरल मामला था।

अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता

प्रवेश के बिल। अभियोजन का मामला कंपनियों का एक जाल स्थापित करके हवाला के माध्यम से दुबई और हांगकांग स्थित कंपनियों को विदेशी मुद्रा भेजने का एक जटिल आर्थिक अपराध था। इन कंपनियों ने आईसीआईसीआई बैंक और अन्य बैंकों से संपर्क किया

और ऋण पत्र खोले और इस धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण पर नकली प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए कि ये प्रवेश पत्र वास्तविक थे और हीरे का वास्तविक आयात किया गया था। आईसीआईसीआई बैंक और अन्य बैंकों को दुबई और हांगकांग में विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में इस राशि को भेजने के लिए धोखाधड़ी से प्रेरित किया गया था। [पैरा 26] [1126-सी-एफ] 2.2 प्रफुल्लभाई पटेल के बयान को पढ़ने से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि प्रतिवादी-आरोपी नकदी एकत्र कर रहा था और उसे कूरियर के माध्यम से प्रफुल्लभाई पटेल को भेज रहा था और इस तरह विदेशों में नकदी के अवैध हस्तांतरण के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर रहा था। एकल न्यायाधीश ने कहा कि प्रफुल्लभाई पटेल का बयान

प्रत्यर्थी के व्यवसाय और खातों का संदर्भ केवल सुनी-सुनाई बातें हैं और उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने प्रत्यर्थी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार किया था। क्या प्रफुल्लभाई पटेल का बयान सुनी-सुनाई बातों की प्रकृति का है और क्या यह 'समकालीन व्याख्या' द्वारा समर्थित है और क्या यह इसके अंतर्गत आता है। ' परीक्षण के समय ही यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह स्वीकार्य है या नहीं। किसी भी पक्ष के विवाद के गुण

इसे अभी नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि इसे केवल मुकदमे के समय उठाया और जवाब दिया जाना है। अदालत में अंगदियों से पूछताछ की जानी बाकी है। मुकदमे के दौरान, अंगदियों की जांच के समय, अभियोजन पक्ष के लिए उनका सामना करने की छूट है।

प्रतिवादी को कथित के साथ जोड़ने वाली प्रासंगिक सामग्री

लेन-देन। अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए, यह केवल यह देखना होगा कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। प्रक्रिया जारी करने के चरण में, न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री के साक्ष्य मूल्य को तौलने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय को मामले के गुण-दोषों की जांच नहीं करनी है और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता का निर्धारण नहीं करना है। [पारस 31,32,35,36 और 37] [1130-ई जी; 1131-डी, एच; 1132-ए-बी]

नूपुर तलवार बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य (2012) 11 एस. सी. सी. 465: [2012] 6 एससीआर 723 -

पर भरोसा किया।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अमर नाथ और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और एक अन्य (1977) 4 एस. सी. सी. 137: [1978] 1 एससीआर 222; के. के. पटेल और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य (2000) 6 एस. सी. सी. 195 [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 312; उर्मिला देवी बनाम। युद्धवीर सिंह (2013) 15 एससीसी 624: [2013] 16 एससीआर 542; बलराम प्रसाद अग्रवाल बनाम। बिहार राज्य और अन्य (1997) 9 एस. सी. सी. 338 [1996] 9 पूरक। एससीआर 752; भोलू राम बनाम।

पंजाब राज्य और एक अन्य (2008) 9 एस. सी. सी. 140: [2008]

12 एस. सी. आर. 959-संदर्भित।

3.1 एकल न्यायाधीश का यह कहना सही नहीं था कि ऐसा कोई तथ्य नहीं था कि प्रत्यर्थी ने काले धन को नकद में सफेद करने और प्रवेश के नकली बिलों के आधार पर धोखाधड़ी से बैंकों को प्रेरित करने और विदेशी मुद्रा में राशि को हांगकांग और दुबई स्थित विदेशी बैंकों में भेजने की साजिश में कोई भूमिका निभाई हो। एकल न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री को दरकिनार करने में गलती की जो प्रथम दृष्टया

प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यर्थी की भूमिका का संकेत दिया कि वह प्रेषकों से धन एकत्र करता था और इसे अंगडिया फर्मों के माध्यम से प्रफुल्लभाई पटेल को भेजता था, जिन्होंने उसी के माध्यम से धन जमा किया था।

एम. जे. द्वारा संचालित कंपनियों के खातों में आर. टी. जी. एस. जिसे विदेशी मुद्रा के माध्यम से विदेशों में स्थानांतरित किया गया था। प्रत्यर्थी के भाई ने स्वीकार किया कि अभियुक्त द्वारा नियंत्रित कंपनी-एम. जे. से प्रत्यर्थी-अभियुक्त के निर्देश पर उसके खाते में रु. 3,00,00,000/- जमा किए गए थे। यह प्रश्न कि क्या प्रतिवादी-अभियुक्त के भाई को वास्तविक ऋण लेनदेन के रूप में धन प्राप्त हुआ या क्या यह आयोग का हिस्सा था, परीक्षण के चरण में ही जांचा जा सकता है जब पक्षकार मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, बैंक का अवलोकन

प्रत्यर्थी के बयान में मैसर्स नैचुरल ट्रेडिंग कंपनी से प्रत्यर्थी के खाते में कुल 1,000 रुपये की राशि के लिए चार लेनदेन दिखाए गए। इसके अलावा, बैंक के अवलोकन द्वारा

प्रत्यर्थी की स्वामित्व संबंधी संस्था मेसर्स नाइल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बयान में फर्म के खाते में लगभग रु. 7,00,00,000/- का लेनदेन दिखाया गया है। अभियुक्त की व्यावसायिक चिंता-एम. जे. [पारस 38,39 और 41] [1132-ई एच; 1133-बी, एफ]

3.2 यह तर्क कि दो कंपनियाँ जिन्होंने प्रत्यर्थी के खातों में Rs.16,00,00,000/- की राशि प्रेषित की थी और उसका भाई जो राशि 'कमीशन' के रूप में बताई गई है, गुजरात राज्य v.

अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता

अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इसके निदेशक/भागीदार को दिखाया गया है कि अभियुक्त स्वीकार करने के योग्य नहीं है। केवल इस दौरान

परीक्षण के समय, उपरोक्त दो कंपनियों से प्रत्यर्थी के खाते में धन का निशान स्थापित किया जा सकता है। होने के नाते

प्रतिवादी-अभियुक्त और उसकी कंपनी के खाते में राशि जमा करना और प्रतिवादी के भाई द्वारा राशि की प्राप्ति प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री है जो यह दर्शाती है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। सबूत और अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत सामग्री को संभावित बचाव पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है जो प्रतिवादी ले रहा है कि इस तरह के श्रेय उसके व्यावसायिक लेन-देन के नियमित क्रम में हैं। [पारस 42,44] [1133-जी-एच; 1134-ए, डी-ई]

4. धारा 397 Cr.P.C के तहत संशोधन की सुनवाई करते हुए,

उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है और जब तक निचली अदालत का निर्णय विकृति से ग्रस्त नहीं होता है, तब तक साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं करेगा। आरोप पत्र और उस पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर जब मजिस्ट्रेट ने संतुष्ट किया कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो एकल न्यायाधीश मामले के गुण-दोषों की जांच करने में उचित नहीं था

और अपने दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करें। [पैरा 49] [1135-जी-एच; 1136-ए]

मामला कानून संदर्भ

अप्रयोज्य रखा गया

[1997] 5 पूरक। एससीआर 12

पै

रा 11

अप्रयोज्य रखा गया

[2012] 2 एससीआर 696

पै

रा 15

[2015] 4 एससीआर 841

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 16

1999 Cr.LJ 4101

पै

रा 19

मंजूरी मिल गई।

[1978] 1 एससीआर 222

पै

रा 23

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 पूरक। एससीआर 312

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2013] 16 एससीआर 542

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[1996] 9 पूरक। एससीआर 752

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2012] 6 एससीआर 723

पै

रा 37

संदर्भित किया गया है

[2008] 12 एससीआर 959

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक संशोधन आवेदन सं. 1 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 03.05.2017 के निर्णय और आदेश से। 264 2017 से।

प्रितेश कपूर, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री विशाखा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नीरज किशन कौल, समीर रोहतगी, सुश्री दीक्षा राय, आशीष बत्रा, सार्थक सचदेव, वट्टन शर्मा, अक्षित प्रधान, ईशान बिष्ट, पलक महाजन, अमित के. नैन, वरुण माथुर, विरेन सिब्बल, विवेकानंद बोममिनेनी, दिव्यांशु श्रीवास्तव, निखिल रोहतगी, आशीष बत्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. भानुमति, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 03.05.2017 के आदेश से उत्पन्न होती है जिसमें 2017 के आपराधिक संशोधन No.264 को अनुमति दी गई है और

जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को रद्द कर दिया है जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मामले 2014 में पुलिस द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 420,465,467,478,471,477 ए और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया था और प्रतिवादी-अभियुक्त को प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया था।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि एक शिकायत दर्ज की गई थी

मेसर्स आर. ए. डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक का प्रबंधक। लिमिटेड ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक साजिश रची और इस साजिश के एक हिस्से के रूप में कहा कि उनकी कंपनी विदेशी बाजार से कच्चे हीरे और पॉलिश किए गए हीरे का आयात कर रही है और उन्हें सूरत और मुंबई के स्थानीय बाजार में बेच रही है और ऐसा कहते हुए उन्होंने चालू खाता खोला।

13.12.2013 आईसीआईसीआई बैंक, श्याम चैम्बर्स, उप-जेल, सूरत के सामने। मेसर्स आर. ए. डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा प्रस्तुत प्रवेश पत्रों के सत्यापन पर, 17 प्रवेश पत्र फर्जी पाए गए। यह आरोप लगाया गया था कि मेसर्स आर. ए. डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कस्टम अधिकारियों के झूठे और फर्जी हस्ताक्षर और टिकट तैयार किए और यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे प्रवेश पत्र फर्जी हैं, धोखाधड़ी से उन्हें प्रस्तुत किया जैसे कि वे सच्चे और वास्तविक हैं और गुजरात राज्य बनाम।

अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा [आर. भानुमति, जे.]

उन्होंने उन्हें आईसीआईसीआई बैंक, श्याम चैंबर्स, ऑप में प्रस्तुत किया। , उप-जेल, सूरत ने 13.12.2013 से 24.02.2014 के बीच रुपये भेजे थे। 104,60,99,082 / से (01) मैबक ट्रेडिंग FZE, दुबई (02) निपॉन

निगम लिमिटेड हांग कांग (03) निगम व्यापार

(एच. के.) लिमिटेड हांगकांग (04) ए. एल. ए. एल. एम. ए. एस. एफ. जेड. ई. लिमिटेड। हांग कांग, (05) एस. अल सबा जनरल ट्रेडिंग एफजेडई, दुबई, (06) डेमूर जेम्स जेवली (एलएलसी) लिमिटेड हांग कांग और इस तरह भारत सरकार को धोखा देने का अपराध किया।

4. उपरोक्त शिकायत के आधार पर, मेसर्स आर. ए. डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफ. आई. आर. No.16/2014 दिनांक 11.04.2014 दर्ज की गई थी। आई. पी. सी. की धारा 420,465,467,468,471,477 ए और 120 बी के तहत शैलेश रमेशभाई पटेल और अनिकेत अशोक आंबेकर लिमिटेड और इसके निदेशक हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी ने शिकायत में, एक आपराधिक साजिश रची गई थी और कुल मिलाकर, 17 फर्जी और मनगढ़ंत प्रविष्टियों के बिल जमा किए गए थे और आईसीआईसीआई बैंक, सूरत के समक्ष उक्त जाली प्रविष्टियों के बिल प्रस्तुत किए गए थे और इस तरह अवैध रूप से रुपये हस्तांतरित किए गए थे। 104,60,99,082 / - हवाला के माध्यम से दुबई और हांगकांग तक विभिन्न कंपनियों को और भारत सरकार के साथ धोखा किया था। उक्त एफ. आई. आर. में प्रतिवादी का नाम नहीं था।

5. जाँच के दौरान, प्रफुल्लभाई मोहनभाई पटेल का बयान 01.08.2014 पर धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था।

और अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रफुल्लभाई पटेल के उक्त बयान में प्रतिवादी-आरोपी अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा और अन्य आरोपी व्यक्ति मदनलाल माणिकचंद जैन और अमित उर्फ बिलाल हारून गिलानी हैं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उपरोक्त अभियुक्त ने अन्य लोगों के साथ हवाला के माध्यम से भारी मात्रा में धन की हेराफेरी करके भारत सरकार को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची।

6. अन्य गवाहों का बयान। एस. बाबूलाल अंगडिया के साथी बाबूभाई कांजीभाई पटेल और बाबूलाल अंगडिया के प्रबंधक प्रवीणभाई जेठाभाई पटेल को 11.08.2014 पर रिकॉर्ड किया गया था। दो व्यक्तियों सुनील अग्रवाल और रतन अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक मामले में धारा 173 Cr.P.C. के तहत 18.08.2014 पर आरोप पत्र दायर किया गया था। उक्त आरोप पत्र में प्रतिवादी-अभियुक्त को 'संदिग्ध' के रूप में संदर्भित किया गया था। प्रतिवादी-आरोपी अफरोज हसनफत्ता था डी. सी. बी. पुलिस स्टेशन, सूरत के पुलिस अधिकारियों द्वारा एफ. आई. आर. No.16/2014 के संबंध में जाँच के लिए 20.08.2014 पर गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले

धारा 173 (8) Cr.P.C के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।

मदनलाल माणिकचंद जैन के खिलाफ आपराधिक मामला No.55259/2014 [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30.09.2014 . अपीलार्थी के अनुसार, उक्त पहले पूरक आरोप-पत्र में, प्रतिवादी-अभियुक्त को प्रतिवादी के मामले में आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए वैधानिक अवधि के रूप में अभियुक्त के रूप में नहीं जोड़ा गया था।

अभियुक्त की मृत्यु नहीं हुई थी।

7. आगे की जाँच के दौरान, गवाहों सी. ए. सुरेंद्र धरेवा, अमृतभाई नरोत्तमदास पटेल और बड़े भाई का बयान

प्रतिवादी-अभियुक्त जफर मोहम्मद हसनफट्टा का, धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रतिवादी-अभियुक्त के बड़े भाई जफर मोहम्मद हसनफट्टा के उक्त बयान से पता चलता है कि प्रतिवादी ने सह-अभियुक्त मदनलाल जैन के स्वामित्व वाली नेचुरल ट्रेडिंग कंपनी से आरटीजीएस के माध्यम से अपने भाई जाफर मोहम्मद हसनफट्टा के खाते में रु. 3,00,00,000/- स्थानांतरित करने की व्यवस्था की है। प्रतिवादी-अभियुक्त नील इंडस्ट्रीज प्राइवेट का एकमात्र मालिक है। लि. उक्त नील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक समीर जिकर गोहिल का वक्तव्य। लिमिटेड को 18.10.2014 पर दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नानपुरा शाखा में अभियुक्त प्रत्यर्थी के खाते का बैंक विवरण 31.12.2013 से 25.03.2014 तक दर्शाता है कि प्राकृतिक व्यापार कंपनी के खाते से प्रत्यर्थी की कंपनी-नील व्यापार निगम को करोड़ों रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। नील व्यापार निगम का आगे का बैंक विवरण भी गंगेश्वर मर्चेंटाइल प्राइवेट से उसके खाते में भारी राशि के जमा होने को दर्शाता है। लिमिटेड मदनलाल जैन के स्वामित्व में है। आगे की जाँच के आधार पर, अर्थात् गवाहों के बयान, बैंक लेनदेन और प्रतिवादी और मदनलाल जैन और अन्य अभियुक्तों के बीच कॉल विवरण रिकॉर्ड की प्रति, दूसरा पूरक आरोप पत्र प्रतिवादी को आरोपी नंबर 1 और अमित @बिलाल हारून गिलानी को आरोपी नंबर 2 के रूप में प्रस्तुत करते हुए दायर किया गया था। दूसरे पूरक आरोप पत्र के आधार पर, अपराधों का संज्ञान लिया गया था

आई. पी. सी. की धारा 420,465,467,468,471,477 ए और 120 बी आपराधिक मामले में आई. पी. सी. की धारा 120 बी आई. पी. सी. आई. पी. सी. आई. पी. सी.

अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा [आर. भानुमति, जे.]

सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को दरकिनार करते हुए दूसरे पूरक आरोप पत्र (आईडी2)/2014 दिनांक (आईडी1) के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेते हुए और प्रतिवादी-अभियुक्त को आईपीसी की धारा 420,465,467,468,471,477 ए और 120 बी के तहत समन जारी करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी संबंध को इंगित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सामग्री नहीं है

प्रत्यर्थी-जालसाजी, धोखाधड़ी, साजिश आदि के कथित अपराधों का आरोपी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि प्रतिवादी धोखाधड़ी से अपनी अघोषित नकद आय भेज रहा था

हवाला के माध्यम से विदेश में और न ही यह दिखाने के लिए कोई सामग्री कि वह किसी भी व्यक्ति से धोखाधड़ी से नकदी प्राप्त कर रहा था और इसे कोई कमीशन अर्जित करने के लिए हवाला के माध्यम से विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में भेज रहा था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई. पी. सी. की धारा 120 बी की सहायता से अभियुक्त का शामिल होना भी किसी भी सामग्री द्वारा प्रमाणित नहीं है।

तर्कः

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक आरोपी को तलब करना एक बहुत ही गंभीर कदम है। और अभिलेख पर सामग्री और [2019] 1 एस. सी. आर. की सख्त जांच होनी चाहिए।

समन आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग के अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रफुल्ल पटेल के दिनांकित कथित बयान, जिस पर भरोसा किया गया था, को सुनी-सुनाई बातों की प्रकृति और प्रतिवादी के लिए अस्वीकार्य माना गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि अंगडियास के साथ-साथ प्रफुल्ल पटेल, जिन पर आर. टी. जी. एस. द्वारा आईसी. आई. सी. आई. बैंक की कंपनियों को नकदी हस्तांतरित करने का आरोप है, धन के कथित प्रवाह में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे और उन्हें आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है और प्रफुल्ल पटेल के बयान के संबंध में राज्य का तर्क किसी भी योग्यता से रहित है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी को आईसीआईसीआई बैंक और हांगकांग और दुबई में स्थित अन्य विदेशी कंपनियों के साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल कोई सबूत नहीं है, जिन पर विदेशी मुद्रा भेजे जाने का आरोप है और किसी भी सामग्री के अभाव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही कहा कि पर्याप्त नहीं था।

प्रत्यर्थी के खिलाफ कार्यवाही में आधार और उच्च न्यायालय का विवादित आदेश किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

11. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने कई निर्णयों पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट को किसी अपराध का संज्ञान लेना चाहिए, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि संज्ञान पुलिस रिपोर्ट या शिकायत पर आधारित है। पेप्सी फूड्स लिमिटेड और एक अन्य वी. पर निर्भरता रखना। विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट और अन्य (1998) 5 एस. सी. सी. 749, विद्वान

वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि एक आपराधिक मामले में एक आरोपी को तलब करना एक गंभीर अपराध है और मजिस्ट्रेट का आदेश विवेक के अनुप्रयोग का संकेत देने वाले कारणों से रहित है और विवादित आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया था। 12. हमने तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और विवादित निर्णय और अभिलेख पर सामग्री, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया है।

विचार के लिए उठनाः

• पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने के मामले में अभियुक्त को प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देते हुए

धारा 190 (1) (बी) Cr.P.C के तहत, क्या अदालत के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी संतुष्टि के लिए कारण दर्ज करे कि

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार?

• धारा 397 Cr.P.C के तहत पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, क्या विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी अभियुक्त को समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने में सही था?

गुजरात राज्य बनाम। अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा [आर. भानुमति, जे.]

धारा के तहत अपराध का संज्ञान लेते समय

190 (1) (ख) Cr.P.C. क्या अदालत को समन जारी करने के लिए पर्याप्त आधारों की संतुष्टि के लिए कारण दर्ज करने हैं:

13. आरोप पत्र आपराधिक मामले No.47715/2014 में 18.08.2014 पर आरोपी व्यक्तियों सुनील अग्रवाल और उनके खिलाफ दायर किया गया था।

रतन अग्रवाल। पहले आरोप पत्र में, प्रतिवादी-अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा (अफरोज हसनफट्टा) को संदिग्ध के रूप में संदर्भित किया गया था। आपराधिक मामला No.62851/2014 में 15.11.2014 पर दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र में, प्रतिवादी-अफरोज को आरोपी नंबर 1 और अमित @बिलाल हारून गिलानी को आरोपी नंबर 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरे में पूरक आरोप पत्र, अभियोजन पक्ष गवाहों के बयान के साथ-साथ प्रतिवादी-अफरोज हसनफट्टा और उनकी कंपनी नील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के खाते में धन के प्रवाह के रूप में कुछ बैंक लेनदेन पर निर्भर करता है। दूसरे पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने और प्रतिवादी अफरोज हसनफत्ता को समन जारी करने का आदेश इस प्रकार है:

" मैं आई. पी. सी. की धारा 420,465,467,468 आदि के अपराध के लिए आरोप पत्र/शिकायत पर विचार करता हूं। उनके खिलाफ समन जारी किए जाएंगे

अभियुक्त "।

14. प्रतिवादी-अभियुक्त का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि किसी अभियुक्त को तलब करना एक गंभीर मामला है और समन भेजा जाना है। आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है और वर्तमान मामले में, कारण दर्ज किए बिना प्रक्रिया जारी करने का आदेश सही तरीके से निर्धारित किया गया था

प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस संतुष्टि के लिए कि उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं, मन के प्रयोग का संकेत देने वाला एक आदेश होना चाहिए। अभियुक्त चाहे इस तथ्य की परवाह किए बिना कि चाहे वह पुलिस द्वारा आरोप पत्र हो या निजी शिकायत।

15. यह अच्छी तरह से तय है कि जारी करने की प्रक्रिया के चरण में,

मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से शिकायत में लगाए गए आरोपों या उसके समर्थन में दिए गए साक्ष्य से संबंधित है और मजिस्ट्रेट को केवल इस बात से संतुष्ट होना है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। यह काफी हद तक तय है कि समन जारी करते समय, [2019] 1 एस. सी. आर.

कार्यनीति को अपनी संतुष्टि के कारणों को स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है जो अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। रिलायंस ने भूषण कुमार और एक अन्य वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

नोथर (2012) 5 एस. सी. सी. 424 जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 11. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम। वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (2008) 2 एससीसी 492 (एससीसी पी। 499, पैरा 19) इस न्यायालय द्वारा "संज्ञान" पद की व्याख्या इस प्रकार की गई थी कि "इसका अर्थ केवल 'जागरूक होना और जब इसका उपयोग किसी न्यायालय या न्यायाधीश के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका अर्थ न्यायिक रूप से ध्यान देना' होता है। यह उस बिंदु को इंगित करता है जब कोई अदालत या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने की दृष्टि से किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है। यह कार्यवाही की शुरुआत से पूरी तरह से अलग बात है; बल्कि यह है

द्वारा कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त

मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश। संज्ञान मामलों का लिया जाता है न कि व्यक्तियों का। संहिता की धारा 190 के तहत, यह शिकायत में कथनों के लिए न्यायिक दिमाग का अनुप्रयोग है जो संज्ञान का गठन करता है। इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना होगा कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। क्या साक्ष्य दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है, यह केवल मुकदमे में ही निर्धारित किया जा सकता है, न कि जांच के चरण में। यदि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने का अधिकार है।

12. "समन" एक अदालत द्वारा जारी की गई प्रक्रिया है जिसमें एक

मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने वाला व्यक्ति। इसका उपयोग किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के जवाब में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के अपने कानूनी दायित्व के बारे में सूचित करने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरे शब्दों में, समन उस व्यक्ति को घोषित करेगा जिसे यह निर्देश दिया गया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है और जिस तारीख और समय पर व्यक्ति को अदालत में पेश होना चाहिए। ए.

जिस व्यक्ति को तलब किया जाता है, वह कानूनी रूप से दी गई तारीख और समय पर अदालत के समक्ष पेश होने के लिए बाध्य है। जानबूझकर अवज्ञा करना आई. पी. सी. की धारा 174 के तहत दंडित किया जा सकता है। यह अवमानना का आधार है

अदालत।

13.संहिता की धारा 204 मजिस्ट्रेट को यह आदेश नहीं देती है कि

समन जारी करने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताएँ। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट की राय में गुजरात राज्य का संज्ञान लेते हुए v.

अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा [आर. भानुमति, जे.]

एक अपराध, कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, तो समन जारी किया जा सकता है। यह धारा मजिस्ट्रेट को यह राय बनाने के लिए अनिवार्य करती है कि क्या समन जारी करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है, लेकिन इस धारा में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि इसका स्पष्ट वर्णन अनिवार्य है, जिसका अर्थ है

जिससे कि यह वैधता तय करने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है

समन जारी किए गए। " [रेखांकित करना जोड़ा गया]

16. महमूद उल रहमान बनाम में भूषण कुमार, वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य निर्णयों का उल्लेख करने के बाद। ख़ज़ीर मोहम्मद टुंडा और अन्य (2015) 12 एस. सी. सी. 420, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 20. मामला कानून के व्यापक संदर्भ से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि शिकायत पर अपराध का संज्ञान आरोपी को प्रक्रिया जारी करने के उद्देश्य से लिया जाता है। चूँकि यह कुछ तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेने की प्रक्रिया है जो एक अपराध का गठन करते हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप, जब दर्ज किए गए बयानों या उस पर की गई जांच के साथ विचार किया जाता है, तो यह कानून का उल्लंघन होगा ताकि किसी व्यक्ति को आपराधिक अदालत के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया जा सके। यह है।

एक यांत्रिक प्रक्रिया या निश्चित रूप से कोई बात नहीं। जैसा कि इस न्यायालय ने पेप्सी फूड्स लिमिटेड और एक अन्य मामले में अभिनिर्धारित किया है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य (1998) 5 एस. सी. सी. 749 किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कानून की प्रक्रिया को गति देना एक गंभीर मामला है।

पैरा (20) में की गई उपरोक्त टिप्पणियाँ शिकायत का संज्ञान लेने के संदर्भ में हैं। धारा 2 (डी) के तहत परिभाषा के अनुसार

Cr.P.C., शिकायत में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। 17. प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह तर्क देने के लिए विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया कि

संज्ञान लेते हुए, अदालत को उन कारणों को दर्ज करना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और उस अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह तर्क देने के लिए पेप्सी फूड्स लिमिटेड और महमूद उल रहमान के मामले में निर्णयों पर भरोसा किया कि जबकि संज्ञान लेते हुए, न्यायालय को उन कारणों को दर्ज करना होगा कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और उस अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। उन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट का आदेश [2019] 1 एस. सी. आर.

अभियुक्त को यह प्रतिबिंबित करना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है। हालाँकि, यह समझने की आवश्यकता है कि वे मामले प्रक्रिया जारी करने से संबंधित हैं।

शिकायत के आधार पर अपराधों का संज्ञान। यह ध्यान दिया जाए कि धारा 2 (डी) Cr.P.C के तहत परिभाषा के अनुसार, 'शिकायत' में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। वे मामले धारा 190 (1) (बी) Cr.P.C के तहत पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से संबंधित नहीं हैं। वे मामले शिकायत के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने से संबंधित हैं। वास्तव में, महमूद उल रहमान के मामले में यह भी देखा गया था कि "धारा 190 (1) (बी) Cr.P.C के तहत, मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट का लाभ है; लेकिन धारा 190 (1) (ए) Cr.P.C के तहत, उसके सामने केवल एक शिकायत है। इसलिए, संहिता निर्दिष्ट करती है कि "तथ्यों की एक शिकायत जो गठित करती है

18. धारा 190 (1) (ए) Cr.P.C. शिकायत का संज्ञान प्रदान करती है। धारा 190 (1) (बी) Cr.P.C. किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से संबंधित है। धारा 173 (2) Cr.P.C के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर. शिकायत को धारा 2 (डी) Cr.P.C में परिभाषित किया गया है।

" 2. परिभाषाएँ।

.....

(घ) "शिकायत" का अर्थ है इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से किया गया कोई भी आरोप, जो किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने किया है।

एक अपराध है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।

शिकायत पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया अध्याय XV-धाराओं के तहत मजिस्ट्रेटों को शिकायतों के तहत प्रदान की गई है।

200 मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत को धारा 203 के तहत खारिज किया जा सकता है यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और ऐसे प्रत्येक मामले में,

वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में दर्ज करेगा। यदि धारा 203 Cr.P.C के तहत कोई शिकायत खारिज नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट धारा 204 Cr.P.C के तहत प्रक्रिया जारी करता है।

अध्याय XVI-मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत। धारा 203 और धारा 204 के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि शिकायत को खारिज करने के लिए कारण दर्ज किए जाने चाहिए। वारंट मामलों के मुकदमे की प्रक्रिया अध्याय XIX-मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के मुकदमे में प्रदान की गई है। अध्याय XIX दो प्रकार के मामलों से संबंधित है-ए-पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले और बी-गुजरात राज्य द्वारा स्थापित मामले।

अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा [आर. भानुमति, जे.]

पुलिस रिपोर्ट के अलावा। वर्तमान मामले में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया गया है।

19. पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित एक मामले में, वारंट मामलों में, धारा 239 Cr.P.C के तहत, पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने पर।

धारा 173 Cr.P.C के तहत इसके साथ दायर, मजिस्ट्रेट आरोपी और अभियोजन पक्ष दोनों को सुनवाई का अवसर देने के बाद आरोपी को आरोपमुक्त कर देगा, अगर मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप को निराधार समझता है और ऐसा करने के लिए उसके कारणों को दर्ज करता है। इसके बाद अध्याय XIX-C आता है-मुकदमे का समापन-मजिस्ट्रेट धारा 248 Cr.P.C के तहत अंतिम निर्णय देता है।

प्रावधान और मामले के तीन चरणों की ओर इशारा करते हुए। यह देखते हुए कि राज कुमार अग्रवाल बनाम में धारा 204 Cr.P.C के तहत प्रक्रिया जारी करने के लिए कारणों को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 1999 Cr.LJ 4101, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी. के. राठी ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

इस प्रकार एक मामले के तीन चरण होते हैं। पहला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत है। पी. सी. प्रक्रिया जारी करने के समय, दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत है। आरोप तय करने से पहले पी. सी.

और तीसरा पूरे साक्ष्य को दर्ज करने के बाद है

अभियोजन और बचाव। सवाल यह है कि क्या

मजिस्ट्रेट को तीनों में साक्ष्य की जांच करने की आवश्यकता होती है। उसके चरण और उसकी संतुष्टि के कारणों को दर्ज करें। यदि यह दृष्टिकोण लिया जाता है,

यह शीघ्र निपटान को एक सपना बना देगा। मेरी राय में

तीनों चरणों में गुण और साक्ष्य पर विचार करना है -

अलग-अलग। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने के चरण में। पी. सी. मामलों की योग्यता और अवगुण के बारे में विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि मामले की जांच के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है, इस पर विचार किया जा सकता है

प्रक्रिया जारी करने के चरण में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार

दंड संहिता की धारा 204 के तहत। पीसी। , हालांकि इस शर्त के अधीन कि इस स्तर पर मजिस्ट्रेट को जांच करनी चाहिए कि क्या शिकायत

किसी भी कानून के तहत वर्जित है, ...धारा 204 सी. आर. के स्तर पर।

पी. सी. यदि शिकायत किसी भी कानून के तहत वर्जित नहीं पाई जाती है, तो

साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न ही कारण हैं

दर्ज करने की आवश्यकता है। धारा के तहत प्रभार के स्तर पर

239 या 240 करोड़। पी. सी. साक्ष्य पर बहुत संक्षेप में विचार किया जा सकता है,

हालांकि उस स्तर पर भी, मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं है

सावधानीपूर्वक जाँच करना और साक्ष्य का मूल्यांकन करना और रिकॉर्ड करना

विस्तृत कारण।

19] 1 एस सी आर।

शिकायत को खारिज करने के लिए। इसके विपरीत, धारा 204 Cr.P.C के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बिना कारणों को दर्ज किए इस मामले में प्रक्रिया जारी करना किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। [रेखांकित करना जोड़ा गया]

हम विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

20. महमूद अली रहमान के पैरा (21) में, इस न्यायालय ने आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान लेने के बीच एक अच्छा अंतर किया है।

पुलिस द्वारा धारा 190 (1) (बी) Cr.P.C के तहत दायर की गई और धारा 190 (1) (ए) Cr.P.C के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की गई।

" 21. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (बी) के तहत मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट का लाभ मिलता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (सी) के तहत उसे अपराध करने की जानकारी या जानकारी होती है।

लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत उनके सामने केवल एक शिकायत है। अतः संहिता निर्दिष्ट करती है कि "तथ्यों की एक शिकायत जो

यह ऐसा अपराध है "। इसलिए, यदि शिकायत किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है, तो

मजिस्ट्रेट धारा 190 (1) (ए) के तहत संज्ञान नहीं लेंगे।

सीआरपीसी। शिकायत को केवल अस्वीकार किया जाना है। "

21. अभियुक्त को बुलाने में, यह आवश्यक नहीं है कि

मजिस्ट्रेट मामले के गुण और दोषों की जांच करेगा और क्या एकत्र की गई सामग्री दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। अदालत को साक्ष्य और उसके गुण-दोष का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 204 Cr.P.C के तहत अभियुक्त को समन करने के लिए अपनाया जाने वाला मानक है। चार्ज तैयार करने के समय समान नहीं होता है। धारा 204 Cr.P.C के तहत समन जारी करने के लिए इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति है "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है"। जबकि आरोप तय करने के लिए, आई. पी. सी. की धारा 240 और 246 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति है "इसके लिए आधार है

यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपराध किया है। " पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने के चरण में

और धारा 204 Cr.P.C के तहत समन जारी करने के लिए मामले के गुण-दोष के बारे में विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य कि मामले की जांच के बाद, पुलिस ने उस पर सामग्री के साथ आरोप पत्र दायर

किया है, धारा 204 Cr.P.C के तहत समन जारी करने के लिए कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार माना जा सकता है।

22. जहाँ तक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने की बात है,

मजिस्ट्रेट के पास आरोप पत्र, गवाहों के बयान और जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए अन्य सबूतों का लाभ होता है।

जाँच अधिकारी/एस. एच. ओ. आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में और जाँच के नियमों के अनुसार की गई जाँच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र करते हैं।

इस प्रकार एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री की जांच अधिकारी के स्तर पर छान-बीन की जाती है और उसके बाद आरोप पत्र दायर किया जाता है। उचित मामलों में, आरोप पत्र दाखिल करने से पहले लोक अभियोजक की राय भी ली जाती है। इस प्रकार अदालत को पुलिस रिपोर्ट का लाभ मिलता है

पुलिस द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री के साथ। धारा 190 (1) (बी) Cr.P.C के तहत, जहां मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है और मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देता है। के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने के मामले में

पुलिस रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामलों में, मजिस्ट्रेट को केवल आरोपी को समन जारी करने का आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है। इस तरह की

अभियुक्त को समन जारी करने का आदेश पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर विचार करने और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर आधारित है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एक मामले में, आरोपी को समन जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आरोप पत्र कानून द्वारा वर्जित है या जहां अधिकार क्षेत्र की कमी है या जब आरोप पत्र खारिज कर दिया जाता है या फाइल पर नहीं लिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को आरोप पत्र की अस्वीकृति और फाइल को नहीं लेने के लिए अपने कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, आई. पी. सी. की धारा 420,465,467,468,471,477 ए और 120 बी के तहत अपराध के लिए पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र को ध्यान में रखते हुए अपराध का संज्ञान लिया गया है, प्रक्रिया जारी करने के लिए अपनी संतुष्टि के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज किए बिना प्रक्रिया जारी करने का आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

क्या प्रक्रिया जारी करने के आदेश के खिलाफ धारा 397 (2) Cr.P.C के तहत संशोधन बनाए रखने योग्य हैः

23. अमर नाथ और अन्य के मामले में v. हरियाणा राज्य

और एक अन्य (1977) 4 एस. सी. सी. 137, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 397 (2) Cr.P.C में "अंतर्वर्ती आदेश" शब्द विशुद्ध रूप से अंतरिम या अस्थायी प्रकृति के आदेशों को दर्शाता है जो महत्वपूर्ण [2019] 1 एस. सी. आर. का निर्णय या स्पर्श नहीं करते हैं।

पक्षकारों के अधिकार या देनदारियाँ और कोई भी आदेश जो पक्षकारों के अधिकार को काफी हद तक प्रभावित करता है, उसे अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता है। के. के. पटेल और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य (2000) 6 एस. सी. सी. 195, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 11. ..... अब यह लगभग तय हो गया है कि यह तय करने में कि संहिता की धारा 397 (2) के लिए चुनौती दिया गया आदेश अंतर्वर्ती है या नहीं, एकमात्र परीक्षा यह नहीं है कि ऐसा आदेश अंतरिम चरण के दौरान पारित किया गया था या नहीं (अमर नाथ और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और एक अन्य (1977) 4 एस. सी. सी. 137, मधु लिमये बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1977) 4 एस. सी. सी. 551, वी. सी. शुक्ला बनाम सी. बी. आई. 1980 सप के माध्यम से राज्य। एस. सी. सी. 92 और राजेंद्र कुमार सीताराम पांडे और अन्य बनाम। उत्तम और एक अन्य (1999) 3 एस. सी. सी. 134)। व्यवहार्य परीक्षण यह है कि क्या किसी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों को बरकरार रखने से, इसके परिणामस्वरूप कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, यदि ऐसा है तो ऐसी आपत्तियों पर पारित कोई भी आदेश केवल अंतर्वर्ती प्रकृति का नहीं होगा जैसा कि संहिता की धारा 397 (2) में परिकल्पित है।

24. यह प्रश्न कि क्या धारा 204 Cr.P.C के तहत समन जारी करने के आदेश के खिलाफ, पीड़ित पक्ष धारा 397 Cr.P.C के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है, इस न्यायालय द्वारा उर्मिला देवी बनाम मामले में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। युद्धवीर सिंह (2013) 15 एससीसी 624। विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

" 14. ..... दूसरी ओर राजेंद्र कुमार सीताराम पांडे और अन्य बनाम में निर्णय में। उत्तम और अन्य (1999) 3 एस. सी. सी. 134, यह न्यायालय अमर नाथ और अन्य बनाम में पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद। हरियाणा राज्य और एक अन्य (1977) 4 एस. सी. सी. 137, मधु लिमये बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1977) 4 एससीसी 551 और वी. सी. शुक्ला बनाम। सी. बी. आई. 1980 सप के माध्यम से राज्य। एस. सी. सी. 92 पैरा 6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः (राजेन्द्र कुमार सीताराम पांडे

मामला, एस. सी. सी. पीपी. 136-37)

" 6. ..... इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त 'अंतर्वर्ती आदेश' शब्द को अभियुक्त के पक्ष में एक बहुत ही उदार निर्माण दिया जाना चाहिए ताकि मुकदमे की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके और उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण शक्ति को आकर्षित किया जा सके यदि आदेश विशुद्ध रूप से अंतर्वर्ती नहीं बल्कि मध्यवर्ती या अर्ध-अंतिम था। यह कानून की स्थिति होने के कारण, यह नहीं होगा

यह अभिनिर्धारित करना उचित है कि गुजरात की प्रक्रिया टी. ई. को जारी करने का निर्देश देने वाला आदेश v.

अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा [आर. भानुमति, जे.]

विशुद्ध रूप से अंतर्वर्ती है और इसलिए, उप-धारा के तहत बार है (2) धारा 397 लागू होगी। दूसरी ओर, इसे मध्यवर्ती या अर्ध-अंतिम माना जाना चाहिए और इसलिए,

धारा 397 के तहत पुनरीक्षण अधिकारिता हो सकती है -

उसी के खिलाफ प्रयोग किया। इसलिए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं था कि संहिता की धारा 397 की उप-धारा (2) के तहत प्रतिबंध को देखते हुए सत्र न्यायाधीश को आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देने वाला आदेश एक मध्यवर्ती या अर्ध-अंतिम आदेश है और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

उक्त आदेश के विरुद्ध। इस दृष्टिकोण को बाद में दोहराया गया था

के. के. पटेल और एक अन्य बनाम में यह न्यायालय। गुजरात राज्य और

एक और (2000) 6 एससीसी195। ”

25. उर्मिला देवी में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, यह

टी ने निष्कर्ष को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कियाः

" 21. इस न्यायालय द्वारा निर्णय के साथ असंख्य निर्णयों में बताई गई उक्त स्पष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए

राजेंद्र कुमार सीताराम पांडे और अन्य बनाम। उत्तम सिंह

और एक अन्य (1999) 3 एस. सी. सी. 134 के साथ-साथ के. के. पटेल और एक अन्य बनाम में निर्णय। गुजरात राज्य और एक अन्य (2000) 6 एस. सी. सी. 195, यह राज्य और कानूनी स्थिति घोषित करने के लिए होगा।

निम्नानुसारः 21.1 . दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 से 204 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी आरोपी को समन करने का मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश मध्यस्थ या अर्ध-अंतिम प्रकृति का आदेश होगा, न कि अंतर्वर्ती प्रकृति का।

21.2 . चूंकि उक्त स्थिति अर्थात। ऐसा आदेश मध्यस्थ आदेश या अर्ध-अंतिम आदेश है, जो धारा 397 के तहत प्रदान की गई पुनरीक्षण अधिकारिता है, या तो जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के साथ। पीड़ित पक्ष द्वारा काम किया जा सकता है।

21.3 . प्रक्रिया जारी करने का निर्णय लेने वाले मजिस्ट्रेट का ऐसा आदेश या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 से 204 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी आरोपी को समन हमेशा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत चुनौती का विषय हो सकता है।

.....

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. इसलिए, स्थिति अब इस प्रभाव पर आ गई है कि मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने में पीड़ित पक्ष के लिए धारा 397 सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र उपलब्ध है।

समन जारी करने का निर्देश देना।

निर्णयों के एक समूह में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पीड़ित पक्ष को मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है जो जारी करने का निर्देश देता है

समन।

26. एकल न्यायाधीश ने इस मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा कि यह जाली प्रवेश पत्र जमा करने का एक साधारण मामला है।

विदेश में, इस नकदी का हस्तांतरण अंगडिया फर्मों-कूरियर एस. बाबूलाल अंगडियास और अन्य के माध्यम से प्रफुल्लभाई पटेल को किया गया, जिन्होंने बदले में आरटीजीएस के माध्यम से कंपनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से नकदी जमा की, जो अंततः आरोपी मदनलाल जैन द्वारा संचालित कंपनियों की एक श्रृंखला (चार्ट इन्फ्रा के माध्यम से) तक पहुंच गई। इन कंपनियों ने आई. सी. आई. सी. आई. बैंक और अन्य बैंकों से संपर्क किया और ऋण पत्र खोले और इस धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण पर नकली प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए कि ये प्रवेश पत्र वास्तविक थे और हीरे का वास्तविक आयात किया गया था। आईसीआईसीआई बैंक और अन्य बैंकों को दुबई और हांगकांग में विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में इस राशि को भेजने के लिए धोखाधड़ी से प्रेरित किया गया था। कथित अपराध एक जटिल अपराध है। दुबई और हांगकांग में विदेशी मुद्रा भेजने का आर्थिक अपराध और जाली प्रवेश पत्रों का एक साधारण मामला नहीं। भारत से नकदी के प्रवाह और विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में उसके प्रेषण को नीचे दर्शाया गया हैः

गुजरात राज्य बनाम। अफरोज मोहम्मद हसनफ [आर. भानुमति, जे.]

प्रेषक (सूरत)

बिलाल हारून गिलानी (सूरत)

अफरोज हसनफत्ता हवाला

एगेन

अफरोज के लिए शब्द

(सूरत)

अंगदल्या फर्म (सूरत)

1. एम/एस। पी. उमेशचंद्र (100 करोड़) 2. एम/एस। एस. बाबुताल (1.65 करोड़)

& अन्य

प्रफुल्ल पटेल, आरटीजीएस एजेंट सूरत

आईसीआईसीआई बैंक (शिकायतकर्ता) 1. आर. ए. वितरक प्रा. लि. 2. मा मुंबादेवी जेम्स प्रा. लिमिटेड 3. एम. बी. अपतटीय वितरक प्रा. लिमिटेड 4. रामश्याम एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.

5. रिद्धी एक्जिम प्रा. लि. लिमिटेड. 6. हेम ज्वेल्स प्रा. लि.

7. त्रिनेत्र ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड (अभियुक्त/मदनलाल जैन द्वारा संचालित)

(हांगकांग)

(

दुबई)

1. मैब्रुक ट्रेडिंग FZE

2. निप्पॉन निगमन लिमिटेड

3. कॉर्नेल ट्रेडिंग (एच/के) लिमिटेड

1. मैब्रुक ट्रेडिंग

FZE

4. अल अल्मास एफजेडई लिमिटेड

2. अल अल्मास

एफजेडई लिमिटेड

5. तैमूर जेम्स ज्वैलरी (एल. एल. सी.) लिमिटेड

3. अल सबा

जनरल ट्रेडिन

6. बिन एसएबीटी ज्वैलरी (एलएलसी) लिमिटेड।

(द्वारा

संचालित

7. धूमकेतु निगम लिमिटेड

अभियुक्त/मदनियाल

जा

अल मिग्रास एफजेडई लिमिटेड 8. शान ट्रेडिंग लिमिटेड 9. चाउ

PZE.Ltd। 10. अल अल्मास

अभियुक्त/मदनलाल जैन) द्वारा संचालित (

27. पैरा (15.4) में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि

प्रतिवादी-अभियुक्त न तो निदेशक है और न ही इन सात कंपनियों में से किसी के लिए कोई अधिकृत है, और न ही कोई आरोप है कि इनमें से किसी भी कंपनी का गठन और नियंत्रण किया गया था।

प्रतिवादी-अभियुक्त, और न ही कि किसी भी कंपनी के बैंक खातों का प्रबंधन प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा किया गया था। यहाँ विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुमानित [2019] 1 एस. सी. आर. के तहत कार्यवाही में गलती की।

कि पूरा लेन-देन नकली प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने और धोखाधड़ी से आईसीआईसीआई बैंक को हीरे के आयात के लिए विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा भेजने के लिए प्रेरित करने का एक साधारण मामला है। हालांकि, जाली और नकली प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना लेन-देन का एक महत्वपूर्ण अंतिम चरण होगा, प्रतिवादी-आरोपी कथित रूप से धन संग्रह के पहले भाग में शामिल है, यानी प्रेषकों और प्रतिवादी-आरोपी से धन एकत्र करके और उसका व्यक्ति अमित @बिलाल हारून गिलानी इसे प्रफुल्लभाई पटेल को अंगडियास के माध्यम से भेजता है, जिन्होंने बदले में आरटीजीएस द्वारा धन को आईसीआईसीआई बैंक में मदनलाल जैन द्वारा संचालित कंपनियों की श्रृंखला में स्थानांतरित कर दिया। अभियोजन का मामला यह है कि जिन व्यक्तियों ने कोई भूमिका निभाई है

धोखाधड़ी और सरकार और बैंकों को धोखा देने की इस साजिश में भूमिका अपराध के लिए समान रूप से उत्तरदायी है, न कि केवल उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने वास्तव में नकली प्रवेश पत्र तैयार करने में सीमा शुल्क अधिकारियों के हस्ताक्षर या मुहर जाली बनाई थी।

28. प्रतिवादी-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि अंगडियास के साथ-साथ प्रफुल्लभाई पटेल धन के इस प्रवाह में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे और इसलिए, उन पर आरोप लगाया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह तथ्य कि अंगडियों और प्रफुल्लभाई पटेल को किसी भी आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है, यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष का मामला केवल नकली प्रवेश पत्रों के बारे में है, न कि 'हवाला' जैसा कि आरोप लगाया गया है या एक जटिल/आर्थिक जैसा कि आरोप लगाया गया है।

29. इस तर्क का खंडन करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री प्रितेश कपूर ने प्रस्तुत किया कि अंगडियास की भूमिका केवल एक कूरियर सेवा है यानी नकदी ले जाना और प्रफुल्लभाई पटेल की भूमिका नकदी में काले धन को सफेद में बदलना है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अंगडिया के साथ-साथ

प्रफुल्लभाई पटेल निश्चित रूप से कर चोरी को सुविधाजनक बनाकर कर धोखाधड़ी में भाग ले रहे थे, लेकिन हो सकता है कि वे विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में राशि भेजने में शामिल नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि और जब मदनलाल जैन द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में उनकी संलिप्तता का कोई सबूत सामने आता है, तो वे वर्तमान मामले में शामिल बड़ी साजिश और धोखाधड़ी का हिस्सा बनेंगे।

30. प्रफुल्लभाई पटेल का वक्तव्यः - प्रफुल्लभाई पटेल के दिनांकित 01.08.2014 के बयान से पता चलता है कि उन्हें एक करोड़ रुपये की नकदी मिली थी।

Rs.500,00,000,00/- और उसे आरटीजीएस के माध्यम से जमा किया जो पैसा मदनलाल जैन द्वारा संचालित आयातित कंपनियों में चला गया और फिर मदनलाल जैन और प्रतिवादी-आरोपी को विशिष्ट निर्देशों पर विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रफुल्लभाई पटेल का बयान इस प्रकार है -

इसके अंतर्गतः

टी. ई. ऑफ गुजरात बनाम. अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा [आर. भानुमति, जे.]

..... स्वास्थ्य लाभ के लिए वहाँ जाते समय मदनलाल जैन व्यवसाय के बारे में बात करते थे। एक दिन मदनलाल जैन ने मुझे अपने कार्यालय में फोन किया और अफरोज हसन फट्टा और अमित @बिलाल गिलानी से मेरा परिचय कराया और कहा कि, "अफरोज फट्टा और अमित @बिलाल गिलानी सूरत में रह रहे हैं और हम हीरे के आयात और निर्यात का व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र जैन मेरा काम संभालते हैं; अमित @बिलाल गिलानी अफरोज फट्टा का काम संभालते हैं; निर्यात का व्यवसाय करने के लिए एक डिमपोर्ट मेरी कंपनी का एक्सिस में खाता है और आईसीआईसीआई बैंक; उन्होंने यह भी कहा कि वह, उनके व्यक्ति नरेंद्र जैन, अफरोज फट्टा और अमित @बिलाल गिलानी जो भी नकदी मुझे देंगे वह मेरे फाइनेंसर के माध्यम से आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के उनके खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी और उसके लिए 0.10 पैसे प्रति 100 पैसे का कमीशन मुझे दिया जाएगा। चूंकि अपने व्यवसाय के कारण मुझे कुछ वित्तीय जानकारी थी, इसलिए मैं उनके साथ व्यापार करने के लिए सहमत हो गया।

इसके बाद, जैसा कि मदनलाल जैन और अफरोज के व्यक्ति अमित @बिलाल गिलानी ने पूछा, मैंने आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सितंबर, 2013 से फरवरी, 2014 की अवधि के दौरान एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बैंक खाते में लगभग Rs.500 करोड़ जमा किए। मेरे पास जो भी नकद राशि आती है, मैंने कमीशन के रूप में 0.10 पैसे काट लिए और उसके बाद उस नकद राशि को उस फाइनेंसर द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया और मैंने उन्हें 0.50 पैसे, 0.80 पैसे और 0.10 पैसे का कमीशन दिया और जो भी अंतर बचा है वह मेरा कमीशन है। तदनुसार, उपरोक्त व्यवसाय में मुझे 9 लाख रुपये का कमीशन मिला।

नकद राशि जो भी हो, मैंने एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के मदनलाल जैन के बैंक खाते में फाइनेंसर द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित किया है, जिसमें से कुछ राशि मदनलाल जैन के व्यक्ति नरेंद्र जैन; अफरोज फट्टा के व्यक्ति अमित @बिलाल गिलानी; हालांकि पी. उमेश फर्म और एस. बाबूलाल फर्म के माध्यम से भेजी गई थी। कभी-कभी अमित का आदमी जोहान भी यू-7, अभिनंदन कॉम्प्लेक्स, मगोब पाटिया में स्थित मेरे कार्यालय में नकदी लेकर आता था और यह नकदी मैं अपने जाने-माने व्यक्तियों दीपक सुचक और हर्षदभाई मोदी को देता था, जो धन उगाहने का काम करते हैं।

कमीशन और आर. टी. जी. एस. और वह नकद राशि जमा की जाएगी।

एक्सिस बैंक के मदनलाल जैन और अफरोज फट्टा के निम्नलिखित बैंक खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. एल. नहीं।	फर्म का नाम	खाता सं।
1 .	आरज़ू एंटरप्राइजेज	913020027784571
2 .	जी. टी. व्यापारी	913020029778091
3 .	वंदना एंड कंपनी	913020029007616
4 .	जैश ट्रेडर्स	913020034680329

	आईसीआईसीआई बैंक	
1 .	त्रिनेत्र ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	085005500849

रामश्याम एक्सपोर्ट प्रा. लि.

085005500
8 50

2 . 3 .

085005500
828

एमबी ऑफशोर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.

रिद्धी एक्जिम प्रा. लि.

4 .

085005500
829
624605501750

5 .

आर. ए. डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.

अभियुक्त। प्रफुल्लभाई पटेल के बयान को पढ़ने से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि प्रतिवादी-आरोपी नकदी एकत्र कर रहा था और उसे कूरियर के माध्यम से प्रफुल्लभाई पटेल को भेज रहा था और इस तरह विदेशों में नकदी के अवैध हस्तांतरण के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर रहा था। 32. इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश प्रफुल्लभाई पटेल के बयान के साक्ष्य मूल्य की जांच करने के लिए आगे बढ़े और कहा कि प्रफुल्लभाई पटेल का बयान सुनी-सुनाई बातों की प्रकृति का है और साक्ष्य में अस्वीकार्य है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्यर्थी के व्यवसाय और खातों के संदर्भ में प्रफुल्लभाई पटेल का बयान केवल सुनी सुनाई बातें हैं और उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने प्रत्यर्थी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार किया था।

प्रत्यर्थी अस्वीकार्य है। यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई समकालीन व्याख्या नहीं थी जो के बयान की पुष्टि करती है प्रफुलभाई पटेल इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत लाएंगे ताकि इसे 'संदर्भ सूचना' के रूप में स्वीकार्य बनाया जा सके। यह प्रस्तुत किया गया था कि स्टेट ऑफ गुजरात v.

अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा [आर. भानुमति, जे.]

34. गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि समन जारी करने के चरण में, अदालत को अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए साक्ष्य के गुण-दोष और उसके साक्ष्य मूल्य की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि प्रफुल्लभाई पटेल का बयान मदनलाल जैन, प्रतिवादी-अफरोज हसनफट्टा और उनके व्यक्ति अमित @बिलाल हारून गिलानी की उपस्थिति में दिया गया था और इसलिए, प्रफुल्लभाई पटेल का बयान निश्चित रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के स्पष्टीकरण II के तहत आएगा। साक्ष्य में निश्चित रूप से स्वीकार्य होगा। उनके तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने बलराम प्रसाद अग्रवाल बनाम पर भरोसा किया। बिहार राज्य और अन्य (1997) 9 एस. सी. सी. 338।

35. क्या प्रफुल्लभाई पटेल का बयान सुनी-सुनाई बातों की प्रकृति का है और क्या यह 'समकालीन व्याख्या' द्वारा समर्थित है।

और क्या यह 'रेस गेस्टे' के अंतर्गत आएगा और क्या यह स्वीकार्य है या नहीं, यह केवल परीक्षण के समय देखा जाना चाहिए। हम किसी भी पक्ष के तर्क के गुण-दोष में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि इसे केवल मुकदमे के समय उठाया और जवाब दिया जाना है। यह देखते हुए कि अभियुक्त को समन करने से पहले, भास्कर लाल शर्मा में बताए गए तथ्यों को स्वीकार करना होगा, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 11. ..... शिकायत याचिका या एफ. आई. आर. में किए गए कथनों की सराहना, संक्षिप्त तरीके से भी, रद्द करने के चरण में स्वीकार्य नहीं होगी और बताए गए तथ्यों को स्वीकार करना होगा जैसा कि वे इसके चेहरे पर दिखाई देते हैं। यह मुख्य परीक्षण है जिसे अभियुक्त को बुलाने से पहले लागू किया जाना है। एक बार जब उपरोक्त चरण समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति के दंडात्मक दायित्व को स्थापित करने के लिए शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष द्वारा कानूनी साक्ष्य के आधार पर कथित तथ्यों को साबित करना होता है।

अपराध के लिए आरोपित "।

36. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि उनके बयानों में, अंगदिया ने प्रत्यर्थी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा है और इन गवाहों के बयान से कोई सामग्री सामने नहीं आई है, कुछ भी नहीं है

प्रत्यर्थी के खिलाफ विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा के प्रेषण के लेनदेन के साथ उसे जोड़ने के लिए दोषारोपण करना। उपरोक्त विवाद में कोई योग्यता नहीं है। अदालत में अंगदियों से पूछताछ की जानी बाकी है। मुकदमे के दौरान, अंगडियास की जाँच के समय, [2019] 1 एस. सी. आर.

अभियोजन पक्ष के लिए यह खुला है कि वह प्रतिवादी को कथित लेन-देन से जोड़ने वाली प्रासंगिक सामग्री के साथ उनका सामना करे।

37. अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने के लिए केवल यह देखना होगा कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

अभियुक्त। प्रक्रिया जारी करने के चरण में, न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री के साक्ष्य मूल्य को तौलने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय को आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों और पेश किए गए साक्ष्य पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है अभियुक्त के खिलाफ। न्यायालय को मामले के गुण-दोषों की जांच नहीं करनी है और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता का निर्धारण नहीं करना है। न्यायालय को संभावित बचाव शुरू करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, जारी करने की प्रक्रिया के समय 'संभावित बचाव' को तब तक ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कानूनी बार जैसे कोई पूर्व-प्रत्यक्ष बचाव न हो या यदि कानून में आरोपी उत्तरदायी न हो। [नूपुर तलवार बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य (2012) 11 एस. सी. सी. 465]

38. विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि "पूरक आरोप पत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी भूमिका का सुझाव दे।

किसी भी विदेशी कंपनी की स्थापना में याचिकाकर्ता का, जो धोखाधड़ी से विदेश भेजी गई राशि का प्राप्तकर्ता था या कोई भारतीय संस्था जिसने धोखाधड़ी से भारत से बाहर राशि भेजी थी।

या सीधे भारत से बाहर प्रेषित राशि प्राप्त करने का या

अप्रत्यक्ष रूप से। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह कहना सही नहीं था कि ऐसा कोई तथ्य नहीं था कि प्रत्यर्थी ने काले धन को नकद में सफेद करने और प्रवेश के नकली बिलों के आधार पर धोखाधड़ी से बैंकों को प्रेरित करने और विदेशी मुद्रा में राशि को हांगकांग और दुबई स्थित विदेशी बैंकों में भेजने की साजिश में कोई भूमिका निभाई हो। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री को दरकिनार करते हुए गलती की, जो प्रथम दृष्टया प्रतिवादी की भूमिका का संकेत देती है कि वह प्रेषकों और प्रतिवादी से धन एकत्र करता था और उसका व्यक्ति अमित @बिलाल हारून गिलानी इसे अंगडिया फर्मों के माध्यम से प्रफुल्लभाई पटेल को भेजता था, जिन्होंने बदले में मदन लाल जैन द्वारा संचालित कंपनियों के खातों में आरटीजीएस के माध्यम से इसे जमा किया था, जो धन विदेशी मुद्रा द्वारा विदेश में स्थानांतरित किया गया था (ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार)। हम आरोप पत्र के साथ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कुछ साक्ष्य और अन्य सामग्रियों का उल्लेख करना उचित समझते हैं।

39. प्रतिवादी के भाई जफर मोहम्मद ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी-आरोपी द्वारा नियंत्रित कंपनी-मदनलाल जैन के निर्देश पर उनके खाते में रुपये जमा किए गए थे। गुजरात राज्य v से उनके चालू खाते में 06.01.2014 पर रु. 1,00,00,000/- और 31.01.2014 पर रु. 2,00,00,000/- की प्रविष्टि के बारे में पूछे जाने पर।

अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा [आर. भानुमति, जे.]

मेसर्स नेचुरल ट्रेडिंग कंपनी (आरोपी मदनलाल जैन की कंपनी) के खाते में, जफर मोहम्मद ने कहा कि जनवरी, 2014 में उन्हें शेयर व्यवसाय में कुछ पैसे की आवश्यकता थी और इसलिए, उन्होंने प्रत्यर्थी अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा से उन्हें ऋण प्राप्त करने के बारे में बात की और इसलिए, राशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में जमा की गई। उन्होंने कहा कि वह मैसर्स नेचुरल ट्रेडिंग कंपनी के स्वामित्व के बारे में नहीं जानते हैं और मदनलाल जैन को भी नहीं जानते हैं। यह सवाल कि क्या प्रतिवादी-अभियुक्त के भाई जफर मोहम्मद को वास्तविक ऋण के रूप में पैसे मिले थे

लेन-देन या क्या यह आयोग का एक हिस्सा था, इसकी जांच केवल मुकदमे के चरण में की जा सकती थी जब पक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते थे।

मदनलाल जैन। 42. प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि दो कंपनियां मेसर्स नेचुरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और गंगेश्वर मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड हैं। लिमिटेड, जिसने प्रत्यर्थी और उसके भाई के खातों में Rs.16,00,00,000/- की राशि भेजी थी, जो राशि 'कमीशन' के रूप में बताई गई है, को न तो आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और न ही इसके निदेशक/भागीदार श्री पुखराज आनंदमल [2019] 1 एस. सी. आर.

मुथा को आरोपी के रूप में दिखाया गया है। यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है। केवल मुकदमे के समय के दौरान, उपरोक्त दो कंपनियों से प्रतिवादी के खाते में धन का निशान स्थापित किया जा सका।

43. राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि Rs.16,00,00,000/- के खाते में वापस आने का स्पष्ट प्रमाण है

मदनलाल जैन द्वारा नियंत्रित कंपनी से कमीशन के रूप में प्रतिवादी जिसे समझाया नहीं गया है। जहां तक घोटाले में अपनी भूमिका के लिए प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा Rs.16,00,00,000/- "कमीशन के रूप में" की प्राप्ति का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे इस गलत आधार पर खारिज कर दिया कि "अभियुक्त की ओर से कोई पुरुष-कारण या दोषपूर्ण जानकारी नहीं है"। समन जारी करने के चरण में यह स्थापित नहीं किया जाना है कि अभियुक्त-प्रतिवादी के पास पुरुष-अधिकार था या नहीं। भोलू राम बनाम। पंजाब राज्य और एक अन्य (2008) 9 एस. सी. सी. 140, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुरुष अधिकार का निर्णय केवल मुकदमे के समय किया जा सकता है न कि समन जारी करने के स्तर पर।

44. रुपये की एक बड़ी राशि प्राप्त की है। 16,00,00,000 / - , यह अभियुक्त के लिए है कि वह मुकदमे के समय अपनी बचाव याचिका को स्थापित करे कि

वर्ष। 46. इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स पर भी निर्भर करता है कि प्रतिवादी आरोपी मदनलाल स्टेट ऑफ गुजरात बनाम के संपर्क में था।

अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा [आर. भानुमति, जे.]

47. विद्वत एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश में गवाहों के बयानों को व्यापक रूप से निकाला। प्रतिवादी के भाई जफर मोहम्मद, नील इंडस्ट्रीज के प्रबंधक समीर जिकर गोहिल और अंगडियास फर्मों के अन्य गवाहों ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी बयान में प्रतिवादी के खिलाफ कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि "न तो थियांगडिया और न ही चेक। छूट देने वाले जो स्वीकार करते हैं कि भारी नकद भुगतान के प्राप्तकर्ता थे

अन्य कंपनियों को आगे हस्तांतरण के लिए, याचिकाकर्ता के साथ किसी भी सौदे या लेनदेन का आरोप, किसी भी अपराध को कम करने के लिए

लेन-देन "। प्रत्यर्थी और नील व्यापार निगम और उनके भाई जफर मोहम्मद के खाते में भारी मात्रा में धन का प्रवाह हुआ। मुकदमे के दौरान, यह अभियोजन पक्ष को दिखाना है कि ये धन लेनदेन कैसे जुड़े हुए हैं ताकि यह स्थापित किया जा सके कि प्रतिवादी था प्रेषकों से धन एकत्र करना और उसे अंगडियास के माध्यम से प्रफुल्लभाई पटेल को प्रेषित करना। प्रक्रिया जारी करने के चरण में, अदालत को एकत्र किए गए साक्ष्य के गुण-दोष में जाने और यह जांचने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वे अभियुक्त को दोषी ठहरा रहे हैं या नहीं।

48. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंगदियास के बयान को विस्तार से निकाला और कहा कि एस. बाबूलाल अंगदियास के प्रतिनिधि और पी. उमेशचंद्र, जिनके नाम प्रफुल्लभाई पटेल के बयानों में दिखाई दे रहे हैं, ने भी पटेल के साथ इस तरह के किसी भी लेनदेन का खुलासा नहीं किया।

यहाँ उत्तरदाता। इसी तरह, विद्वान एकल न्यायाधीश ने बैंकिंग लेनदेन का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रतिवादी और उसके भाई के बैंक विवरण प्रथम दृष्टया भी प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज किसी भी अपराध को नहीं दर्शाते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, प्रक्रिया जारी करने के चरण में, साक्ष्य की पर्याप्तता या अन्यथा नहीं देखा जा सकता है। गवाहों के बयान और प्रस्तुत की गई अन्य सामग्रियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सामग्रियों को प्रतिवादी अभियुक्त को समन जारी करने के आदेश को रद्द करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था। इस बारे में कि क्या ये साक्ष्य प्रतिवादी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं या क्या उसके पास एक प्रशंसनीय बचाव या स्पष्टीकरण है, मुकदमे के चरण में विचार किया जाने वाला विषय है। विद्वान एकल न्यायाधीश को अभियुक्त को समन जारी करने के प्रारंभिक चरण में मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं करना चाहिए था।

49. धारा 397 Cr.P.C के तहत पुनरीक्षण की सुनवाई करते समय, उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है और इसकी पुनः सराहना नहीं करेगा।

साक्ष्य जब तक कि निचली अदालत का निर्णय विकृति से ग्रस्त न हो। आरोप पत्र और उस पर उत्पादित सामग्री के आधार पर जब [2019] 1 एस. सी. आर.

मजिस्ट्रेट ने संतुष्ट किया कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश मामले के गुण-दोषों की जांच करने और अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करने में उचित नहीं था। जब मजिस्ट्रेट की संतुष्टि आरोप पत्र और उसके सामने रखी गई सामग्री पर आधारित थी, तो संतुष्टि को गलत या विकृत नहीं कहा जा सकता है और संतुष्टि में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। 50. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेते समय, मजिस्ट्रेट को यह संतोष होता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, दूसरे पूरक आरोप पत्र के साथ, गवाहों के बयान, प्रतिवादी आरोपी और उसकी कंपनी नील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और अन्य बैंक के बैंक विवरण जैसी सामग्री की संख्या।

बयान, कॉल विवरण रिकॉर्ड और अन्य सामग्री रखी गई। दूसरे पूरक आरोप पत्र और उस पर रखी गई सामग्री पर विचार करने पर, मजिस्ट्रेट ने खुद को संतुष्ट किया कि प्रतिवादी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है और समन जारी किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, हमारे सुविचारित विचार में, पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप करने में गलती की। 51. हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश को मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए था जब मामला प्रारंभिक चरण में हो। जब अभियोजन सामग्री पर निर्भर करता है, तो समन जारी करने के चरण में सबूत का सख्त मानक लागू नहीं किया जाना चाहिए और न ही संभावित बचाव की जांच करने के लिए जो आरोपी ले सकता है। अदालत को बस इतना करना है कि वह खुद को संतुष्ट करे कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। विद्वत एकल न्यायाधीश ने मामले के गुण-दोष में जाने में गंभीर त्रुटि की और विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।

52. परिणामस्वरूप, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2017 के आपराधिक संशोधन No.264 दिनांक 03.05.2017 में पारित विवादित आदेश निर्धारित किया गया है।

एक तरफ और इस अपील की अनुमति है। आई. पी. सी. की धारा 420,465,467,468,471,477 ए और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2014 के आपराधिक मामले में दूसरे पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट का आदेश और प्रतिवादी-अभियुक्त को प्रक्रिया जारी करना बहाल हो जाएगा। प्रतिवादी-अभियुक्त को 27.02.2019 पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है और निचली अदालत कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगी।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।